छोटू/गो [illegible]
प्रा० पत्र = 15/2016

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाइ जिला टोंक

(अनिता कुमारी खटीक, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या :–15/2016

निर्णय दिनांक:– 26/11/2025

उनवान

1. ~~छोटू पुत्र कमना जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.~~
1/1 कमलेश पुत्र छोटू जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
1/2 सूरजभान पुत्र छोटू जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज
1/3 मोतीलाल पुत्र छोटू जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
1/4 बीना पुत्री छोटू जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
1/5 सावित्री पुत्री छोटू जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज
1/6 नानगी देवी पत्नि छोटू जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. सूरजभान पुत्र छोटू जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. काली पुत्री कान्हा जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.

--प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र पांच्या जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. ~~गोपाल पुत्र नाथ्या जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.~~
2/1 रमेश पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज
2/2 शंकर पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2/3 मुकेश पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज
2/4 बुद्धिप्रकाश पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2/5 हरिराम पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2/6 राजवनी पुत्री गोपाल जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज
2/7 धापू देवी पत्नि गोपाल जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. तीजा पत्नि पांच्या जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. नाथी पत्नि प्रभू जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
5. ममता पत्नि प्रभू जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज
6. राजवन्ती पत्नि प्रभू जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
7. सीता पुत्री प्रभू जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
8. मोत्या पत्नि प्रताप जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
9. रणजीत पुत्र प्रताप जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
10. कैलाश पुत्र प्रताप जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
11. औंकार पुत्र हरदेवा जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
12. मुलचन्द पुत्र हरदेवा जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
13. जगदीश पुत्र हरदेवा जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
14. रामकरण पुत्र हरदेवा जाति बैरवा निवासी ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.

Scanned with OKEN Scanner

छोटू/गोपाल
क्र० प्रक० 15/2016

15. रगलाल पुत्र हरदेवा जाति बैरवा निवासी लहवाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
16. लक्ष्मण पुत्र हरदेवा जाति बैरवा निवासी लहवाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
17. तहसीलदार निवाई तह0 निवाई जिला टोंक राज.
18. उप पंजियक दत्तवास तह0 निवाई जिला टोंक राज.

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः—1. श्री गिरधर सिंह तवर, अधि0 प्रार्थीगण
2. श्योनारायण शर्मा, अधि0 अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के विधिक वारिस
रामदयाल शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 04

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः--

यह कि प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष ठोस तथ्यों के आधार पर एक वाद प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 8 ता 16 स्व0 गंगाराम के पुत्र काना व हरदेवा के वंशज है अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 पाच्या पुत्र वल्या के वंशज है। भुप्रबन्ध(सेटलमेन्ट विभाग) के पर्चा लगान प्रबन्ध अवधि संबंध 2027 से 2030 में ख0न0 602, 650, 624/1014, भूमि पाच्या पुत्र वल्ला के नाम हिस्सा 1/2, 1/2 दर्ज थी उसी अनुसार कब्जाकाश्त था। प्रार्थीगण के गांव में एक व्यक्ति नाथ्या निवास करता था जिसकी पत्नी का नाम जमना था। नाथ्या की मृत्यु के उपरांत उसकी विधवा जमना पाच्या वल्द वल्या के साथ पत्नी के रूप मे निवास करने लग गई तदुपरान्त पांच्या व जमना से अप्रार्थी संख्या 1 गोपाल का जन्म हुआ पाच्या के आयन्दा पुत्र प्रभु व विवाहिता पत्नि सिरा अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को पांच्या के हक व हिस्से की जमीन भूमि देने से इन्कार कर दिया जिसके उपरान्त पांच्या वल्द व जमना पत्नि नाथ्या व पांच्या में षड़यत्र रचकर प्रार्थी संख्या 1 के पिता कान्हा व अप्रार्थी संख्या 11 ता 16 के पिता हरदेवा कि 1/2 हक व हिस्से की भूमि को छिनने हेतु गोपाल नाबालिक को नाथ्या का पुत्र बताते हुए एक प्रार्थना पत्र ए.एस.ओ को उक्त विवादग्रस्त भूमि का प्रार्थी के नाम का अंकन हेतु दुरुस्त करवाने हेतु 16.07.1960 को प्रस्तुत किया। उक्त तथ्यों के उजागर होने से पाच्या का सारा षड़यत्र व धोखाधड़ी सक्षम अधिकारी के सामने आ जाती व काना व हरदेवा की 1/2 हिस्से की जमीन गोपाल वल्द नाथ्या के 1/4 हिस्से के रूप में दर्ज ही नही होती इसी कारण से बदनीयती पूर्वक षडयंत्र रचकर पांच्या ने सारे षडयंत्र व धोखाधड़ी करने में सफल हो गया। जिसकी जानकारी हरदेवा व कान्हा को नहीं मिल सकी इस कारण पाच्या के नोटिस जारी होने के बाद अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की और दिनांक 05.08.1960 को हरदेवा के नाम से गोपाल के वली के रूप में उक्त दिनांक को अपनी प्रस्तुति दी और स्वंय पाच्या ने हरदेवा के नाम से प्रतिस्थापित होते हुए उसी रोज बयान भी दे दिये की उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा पाच्या वल्द वल्या व 1/4 हिस्सा कान्हा व गोपाल पुत्र नाथ्या है उक्त 1/4 में गोपाल का नाम नहीं लिखा गया इसलिए गोपाल का नाम लिखा जावे। ऐ.एस.ओ निवाई ने पाच्या वल्द वल्या का 1/2 हिसा यथावत रखा व कान्हा व हरदेवा का हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/4 कर दिया व गोपाल पुत्र नाथ्या का हिस्सा 1/4 करने के आदेश प्रदान कर के पर्चा लगान सेटलमन्ट में तरमीम पर्चा व खसरा ने उक्तानुसार अकन कर दिया जो विधि के विरुध व गलत था। गोपाल वल्द नाथ्या का संबंध कतई नहीं था। गोपाल तो पाच्या व नाथ्या की विधवा जमना के अनैतिक संबधों से उत्पन्न हुई संतान थी। गोपाल के हित व हक कान्हा व हरदेवा से नहीं थे। और ना ही हरदेवा गोपाल का वली बना था और उसे वली बनने का कोई हक व अधिकार भी नहीं था। जमना व पाच्या ने कान्हा व हरदेवा के हक व हिस्से की वादग्रस्त मिल्कियत को हड़पने की खातिर हरदेवा के नाम से फर्जी वली बनकर गोपाल वल्द नाथ्या के नाम

छोटू / गोपाल
प्रा० पत्र = 15/2016

लगा दिया। वादग्रस्त खसरा नम्बरान का प्रावाष्टया से साबित हो जाता है जिससे गोपाल पुत्र पाच्या व जमना तीजा बेवा पाच्या का अंकन है तथा गोपाल पुत्र नानका का भी अंकन है। जिसको शुद्धीपत्र दिनांक 24.09.2013 के द्वारा गोपाल पुत्र नानगा के स्थान पर गोपाल पुत्र नाथ्या करवाया गया है। वर्ष 1960 से 2013 तक गोपाल को नाबालिग ही दर्शा रखा है जिससे प्रथम दृष्टया साबित होता है कि गोपाल का जन्म नाथ्या की विधवा जमना व पाच्या के सहचर्या से हुआ था इसी वजह से गोपाल आज भी नाथ्या का पुत्र बना हुआ है जमना नाथ्या की पत्नि के रूप में व पाच्या की भी पत्नि के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमल दराज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 8 ता 16 का 1/2 हक व हिस्से कि भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। पाच्या वल्द वल्या ने फर्जकारी करते हुए तथाकथित गोपाल वल्द नाथ्या के हिस्से में 1/4 हिस्से की भूमि ता दर्ज करवाई लेकिन मौके पर आज भी गोपाल वल्द नाथ्या व गोपाल वल्द पाच्या का स्व० कान्हा, हरदेवा की 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्से की भूमि पर कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा वर्ष 1960 से स्व० कान्हा व हरदेवा तथा उनकी मृत्यु कि उपरान्त उनके वारिसान यानि प्रार्थीगण का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। गोपाल पुत्र नाथ्या ने प्रार्थीगण से व उनके बुजूर्गों से कब्जा नहीं लिया और न ही प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भी भूमि में बाधा मजाहमत रूकावट अरचन पैदा की गोपाल वल्द नाथ्या का वादग्रस्त भुमि के 1/4 हक व हिस्सा दर्ज हो जाने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 की [illegible] में बेईमानी आ गई है वर्तमान में जमीनो के भाव व वृद्धी हो चुकि है उसि का नाजायज फायदा उठा कर अप्रार्थी संख्या 1 बगैर कब्जा लिए ही अपने नाम दर्ज हिस्सा 1/4 की भूमि को बाला बाला दिगर व्यक्तियों का विक्रय, हस्तान्तरण करने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 8 ता 16 के 1/2 हक व हिस्से की भूमि में अप्रार्थीगण बाधा मजाहमत रूकावट अरचन पैदा नहीं करे और प्रार्थीगण के काश्त करने में बाधा मजाहमत रूकावट पैदा नहीं करे। इस हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा का ता-फैसला वाद पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थीगण की ओर से श्री गिरधर सिंह तवंर, एवं अप्रार्थी सं0 1 बाद तामिल असालतन वकालतन गैर हाजिर होने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से गोपाल चौधरी एडवोकेट ने 3 ता 7 की ओर से सतीश शर्मा एडवोकेट ने तथा 11 ता 16 की ओर से कन्हैया लाल एडवोकेट ने तथा अप्रार्थी संख्या 8 ता 10 की ओर S.N. गुर्जर ने वकालतनामा पेश अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्योनारायण शर्मा, ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल प्रत्रावली हो। अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 की ओर से जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें खसरा न. 60[illegible], 643, 64[illegible] 650, 624/1014 में पाच्या पुत्र वल्या का 1/2 नाम होना तथा 1/2 भुमि पर पाच्या पुत्र वल्या के वारिसान का कब्जा होना स्वीकार है। सही स्थिति के अनुसार गोपाल पाच्या का पुत्र नही है गोपाल नाथ्या का पुत्र है। गोपाल ने पाच्या की भूमि में [illegible] पाच्या की संम्पति से अधिकार नही है गोपाल नाथ्या का पुत्र है। राजस्व रिकार्ड में 24.09.2013 को गोपाल पुत्र नानगा की जगह गलत नामान्तकरण भरवाया है। गोपाल का जन्म नाथ्या व जमना से हुआ है [illegible] गोपाल पुत्र नाथ्या करवाया है जो सही है गोपाल का [illegible] कान्हा व हरदेवा का 1/2 भूमि पर कब्जा [illegible] पाच्या से, पाच्या से दूर तक का भी संबंध नहीं है। गोपाल तो नाथ्या की हैसियत से 1/4 भूमि दर्ज हुई है [illegible] है मात्र 1/4 भूमि पर कब्जा है। [illegible] अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 का कब्जा है व 1/2 भूमि पर 1/4 पर कान्हा व हरदेवा का कब्जा है व 1/2 भूमि पर अप्रार्थी कमलेश, मोतीलाल व अन्य की ओर से प्रा0पत्र आदेश 22 [illegible] कि पाच्या के वारिसान है। प्रार्थीगण कमलेश, मोतीलाल व अन्य की ओर से प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 पेश किया नियम 3 धारा 151 पेश किया एवं वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 4 जो कि वादी संख्या [illegible] इसके उपरान्त प्रा0 पत्र आदेश 22 नियम 3 व प्रा0 पत्र आदेश 22 नियम 4 जो कि वादी संख्या [illegible] की मृत्यु हो जाने पर विरासत के आधार पर वादग्रस्त आराजियात का नामान्तकरण खोलने बाबत की अनुमति प्रदान करते हेतु उभयपक्षकारान अधिवक्ता की सहमति के आधार पर उक्त प्रा0 पत्र स्वीकार किया गया व संशोधित शिर्षक पेश करने हेतु आदेशित किया गया। वादीगण द्वारा संशोधित शिर्षक पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 ता 10 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया

छोटू / गोपाल
प्र0 पत्र = 15/2016

गया जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजिया तग प्रार्थीगण व अप्राथी संख्या 3 ता 16 का वादग्रस्त आराजियात पर मौके पर 1/2 हिस्से पर कब्जाकाश्त है। लिहाजा अप्रार्थी 8 ता 16 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता तथा अप्रार्थी संख्या 8 ता 16 के विरूद्ध संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से की उद्घोषणा की डिक्री प्रदान किया जाना न्यायसंगत एव विधिसगत है। इसके उपरान्त प्रार्थीया श्रीमती नाथी बैरवा पत्नि प्रभु बैरवा की ओर से प्रा0 पत्र बाबत विक्रय पत्र के आधार पर आ0 ख0 602 रकबा 19 बिघा 13 बिस्वा मे हिस्सा 1/8 हिस्से की भूमि का प्रार्थीया के पक्ष में नामान्तकरण खोलने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। जिसका वादीगण/अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभिभाषक उभयपक्ष की सहमती कि वादी संख्या 1 की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकण खोले जाने की हद तक स्थगन आदेश में छूट प्रदान कर दी जाए के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा स्थगन आदेश में वादी सं0 1 की विरासत का नामान्तकरण खोले जाने की हद तक छूट प्रदान किये जाने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण मे अप्राथी संख्या 2/1 ता 2/7 की ओर से श्री रामनारायण शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विधिक वारिसान की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 एक ही व्यक्ति है तथा अप्रार्थी संख्या 03 ता 16 से अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 से काई वास्ता नही है। उक्त लोग अप्रार्थी संख्या 01 ता व 02 के कुटुम्ब ·····ी नही है। प्रार्थी संख्या 01 ता 03 व अप्रार्थी संख्या 08 ता 16 के आपसी कोर्ल जन के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 07 के हक व हिस्से की भूमि तथा झूठे दावे के आधार पर हडपने की गर्ज से उक्त वाद बनावटी है तथा नाथ्या की मृत्यु के बाद उसकी बेवा जमना ने पांच्या से पुर्नविवाह कर लिया जबकि पांच्या ये पूर्व से ही एक पत्नि तिजा थी इस प्रकार पांच्या के मोह जाल में फंसाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है जिसका नाम तीजा है। इस प्रकार जमना के सहचर्य से केवल मात्र कैलाश ही उत्पन्न हुई है गोपाल तो अपने पिता नाथ्या की मृत्यु के दौरान जमना के गर्भ में था। इस कारण गोपाल के दो पिता नाथया व पांच्या कहलाये। उक्त वादग्रस्त भुमि में 1/2 पांचया के हक व हिस्से की थी तथा काना हरदेव पि. गंगाराम का हिस्सा 1/[illegible] तथा गोपाल पुत्र नाथ्या का हिस्सा 1/4 अंकन था, जो पूर्व जिला कलेक्टर के आदेश से नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 05.08.1960 के द्वारा बतौर सेटलमेन्ट पर्चा में अंकित है। गोपाल अपनी मां जमना के गर्भ में था जब अपने पिता नाथ्या की मृत्यु हुई क्योंकि जमना ने पाच्या पुत्र लाल्या की चूड़ी पहनकर बतौर नाते की पत्नी बनी उसके उपरान्त गोपाल का जन्म होने की वजह से तथा उसके पिता पाच्या रहने की वजह से सम्पूर्ण दस्तावेजात में गोपाल के पिता का नाम बतौर संरक्षक जैसे पिता वासुदेवजी थे व माता देवकी थी परन्तु यशोदा-नन्द जसह से भगवान के जन्म देने वाले पिता वासुदेवजी थे व माता देवकी थी परन्तु यशोदा-नन्द बतौर माता-पिता केवल पालन पोषण करने की वजह से कृष्ण भगवान के भी रहे इस प्रकार गोपाल के दो पिता नाथ्या व पांच्या रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विधिक वारिस द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण विवादित ख0नं0 पर चूनरी बट के रूप में बटवारा कर मेढे डालकर 1/4 अपने अपने हक व हिस्से पर काबिज होकर अप्रार्थीगण अपने बाप-दादाओ के जमाने से काश्त करते चले आ रहे है इस प्रकार मौके की वास्तविक स्थिती माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने बाबत मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट तलब किया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित है। जो अप्रार्थी/वादी ने प्रा0 पत्र आदेश 26 नियम 9 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली हो। जिसके अनुसार वादी/अप्रार्थी ने वादग्रस्त आराजियात में जो 24 बीघा 06 बिस्वा मे 1/2-1/2 दर्ज होने के तथ्य अंकित किये है वह गलत/अस्वीकार है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत स्वयं के वाद को अपनी साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से व मौखिक साक्ष्य से मान्य न्यायालय से चाहे गये अनुतोष को प्राप्त करने हेतु पेश करके चाहा गया अनुतोष साबित करेंगे हल्का पटवारी रिपोर्ट द्वारा रिपोर्ट मंगवाकर रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना कतई कानूनन उचित नही है। न्यायालय साक्ष्य एकत्रित करने हेतु कानूनन कमिश्नर नियुक्त नही कर सकता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना विधिसंगत है तथा मान्य न्यायालय से

Scanned with OKEN Scanner

छोटू / ओ.पाल
प्र०पत्र = 15/2016

मौके की रिपोर्ट तलब किये जाने से मौके पर झगडा फसाद की आशंका उत्पन्न हो जावेगी जिससे जनधन की हानि होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रार्थी / प्रार्थीगण मोतीलाल रैगर की ओर से प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। जो शामिल पत्रावली हो। जिसके अनुसार प्रार्थी / प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में उपर से 6वी लाईन में अंकित कुल किता 5 कुल रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा ही अंकित है जिसके बाद में जरिये संशोधन वाके ग्राम ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक जरिये संशोधन वादपत्र में जोडा जाना न्यायसंगत है। प्रा० पत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी उभयपक्ष की सहमति से स्वीकार किया गया तथा प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में उपर से 6वी लाईन में अंकित कुल किता 5 कुल रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा के आगे वाके ग्राम ललवाडी तह० निवाई लाल स्याही से जोडा गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गयी। दौरान बहस हमने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। बहस पर चिन्तन मनन किया। पत्रावली के साथ संलग्न जमाबन्दी संवत 2067–2070 ग्राम ललवाडी के अनुसार अप्रार्थीगण भूमि खसरा नं. 602, 650, 624 / 1014 के खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो कि एक ही व्यक्ति है जिनके विधिक वारिसान के हक मे नामान्तकरण खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं दौरान भूमि का अन्तरण न हो। अप्रार्थी संख्या 17 को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्व रिकार्ड में विधिक वारिसान का फोती नामान्तकरण नियमानुसार तस्दीक एवं राजस्व रिकार्ड में अमल करे तत्पश्चात राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का नोट जमाबन्दी में अंकन करे। उभयपक्षकरान को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वे तादाद भूमि खसरा नं. 602, 650, 624 / 1014 वाके ग्राम ललवाडी की भूमि में मूलवाद के निर्णय तक किसी प्रकार की बाधा, मजाहमत, रूकावट, अडचन, विक्रय, रहन, दान, बेचान न तो स्वयं करे और न ही किसी दीगर व्यक्ति से करावें। पत्रावली संलग्न मूलवाद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिता कुमारी खटीक)
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
निवाई

Scanned with OKEN Scanner